

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम०के०सिंह

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 1244-दो/2010 - विरुद्ध- आदेश  
दिनांक 31 मार्च, 2000 - पारित द्वारा तत्का. सदस्य, राजस्व  
मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 11-चार/आर/324/  
1994

- 1- पार्वती वाई पत्नि स्व०शंकरलाल
  - 2- रोहित पुत्र स्व०शंकरलाल
  - 3- कु. रिचा पुत्री स्व०शंकरलाल
  - 4- कु. मधु पुत्री स्व०शंकरलाल
  - 5- कु. डाली पुत्री स्व०शंकरलाल
  - 6- कुन्दनलाल पुत्र ग्यारसी
  - 7- कोमलसिंह पुत्र ग्यारसी
  - 8- श्रीमती कमलावाई पुत्री ग्यारसी
  - 9- श्रीमती शोतिवाई पुत्री ग्यारसी
  - 10- अभिषेख यादव पुत्र शंकरलाल
- सभी ग्राम विलगइया बार्ड बीना  
तहसील बीना जिला सागर, मध्यप्रदेश
- रघुवीर सिंह पुत्र भैयालाल ठाकुर  
ग्राम हींगटी तहसील बीना जिला सागर

---आवेदकगण

--अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)  
(अनावेदक के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 18-10-2016 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल,  
मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 11-चार/आर/324/  
1994 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31 मार्च, 2000 के  
विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत

*me*

*me*

प्रस्तुत हुआ है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि स्वर्गीय भैयालाल (अनावेदक के पिता) ने तहसीलदार बीना के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 190 सहपठित 110 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम हींगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 204/1 रकबा 5.92 तथा सर्वे क्रमांक 208/10 रकबा 0.75 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर वह सन् 1050-51 से काविज होकर खेती करता आ रहा है किन्तु शासकीय अभिलेख में यह भूमि ग्यारसीलाल पुत्र प्राणसिंह के नाम दर्ज है जबकि इस भूमि पर उसे सिकमी कास्तकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं इसलिये वादग्रस्त भूमि उसके नाम इन्द्राज की जाय। तहसीलदार बीना ने स्वर्गीय भैयालाल की सुनवाई की एवं भूमिस्वामी ग्यारसीलाल पुत्र प्राणसिंह के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 24-12-1981 पारित किया तथा स्वर्गीय भैयालाल को वादग्रस्त भूमि पर सिकमी कास्तकार के अधिकार उत्पन्न होना मानकर शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी खुरई के समक्ष ग्यारसीलाल पुत्र प्राणसिंह ने अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी खुरई ने प्रकरण क्रमांक 54 अ-46/1982-83 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-86 पारित करके तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया।

तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस आने पर पक्षकारों की सुनवाई की गई तथा प्रकरण क्रमांक 01 अ-46/1981-82 में आदेश दिनांक 30-5-1992 पारित करके स्वर्गीय भैयालाल का संहिता की धारा 190 का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश





के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बीना के समक्ष अपील क्रमांक 58 अ-6/1991-92 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी बीना ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 27-2-1993 पारित किया तथा अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील क्रमांक 694/ अ-6/1992-93 प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 31-12-1993 पारित किया तथा अनुविभागीय अधिकारी बीना के आदेश दिनांक 27-2-1993 को यथावत् रखा। इस आदेश के विरुद्ध तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर के समक्ष निगरानी क्रमांक 11-चार/आर/324/ 1994 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 31 मार्च, 2000 से तहसीलदार बीना का आदेश दिनांक 30-5-1992, अनुविभागीय अधिकारी बीना का आदेश दिनांक 27-2-1993 तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर का आदेश दिनांक 31-12-1993 निरस्त किये गये तथा तहसीलदार बीना का आदेश दिनांक 24-12-81 स्थिर रखा गया।

तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर के निगरानी क्रमांक 11-चार/आर/324/ 1994 में पारित आदेश दिनांक 31 मार्च, 2000 के विरुद्ध यह पुनरावलोकन आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी क्रमांक 11-चार/आर/324/ 1994 में निगरानीकर्ता रघुवीर सिंह पुत्र भैयालाल ने इस तथ्य को छिपा लिया कि अनावेदक ग्यारसी की मृत्यु हो चुकी है और मृतक के वारिसान को सूचना दिये बिना और उन्हें पक्षकार बनाये बिना राजस्व मण्डल से आदेश दिनांक 31 मार्च, 2000 पारित कराया गया है इसलिये पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाय।



3/ पुनरावलोकन आवेदन में अंकित किये गये तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अलोकन किया गया।

4/ तर्कों के दौरान अनावेदक के अभिभाषक ने आपत्ति प्रस्तुत की कि पुनरावलोकन आवेदन बेरुम्याद है जो आदेश दिनांक 31-3-2000 के विरुद्ध दिनांक 3-9-10 को प्रस्तुत हुआ है इसलिये पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किया जाय। प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि पुनरावलोकन आवेदन के साथ आवेदकगण ने अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है एवं उभय पक्ष को इस आवेदन पर श्रवण कर अंतरिम आदेश दिनांक 9-2-11 से विलम्ब क्षमा किया गया है और अंतरिम आदेश दिनांक 9-2-11 अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम हो जाने से अनावेदक के अभिभाषक की आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

5/ पुनरावलोकनकर्ता के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि जब वादग्रस्त भूमि पर संहिता की धारा 190 का दावा लगाया गया, उस समय शासकीय अभिलेख में मूल भूमिस्वामी ग्यारसी अभिलिखित रहा है जिसकी मृत्यु 24-12-1999 को हुई है। ग्यारसी की मृत्यु दिनांक 24-12-1999 को होने के बाद उसकी पत्नि श्रीमती नन्हीवाई एवं उसका पुत्र शंकरलाल विधिक वारिस हुये। शंकरलाल दिनांक 14-5-2000 को मृतक हो चुका है एवं महिला नन्हीवाई भी दिनांक 25-11-11 को मर चुकी है जिसके कारण आवेदकगण मूल भूमिस्वामी ग्यारसी के वैध वारिस है। जब मूल भूमिस्वामी की मृत्यु 24-12-1999 को हुई, निगरानीकर्ता अनावेदक का दायित्व था कि वह समय रहते प्रकरण क्रमांक 11-चार/आर/324/ 1994 निगरानी में मृतक ग्यारसी के

R/11

mm

उत्तराधिकारीगण को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही करता , किन्तु उनके द्वारा जानबूझकर मृतक ग्यारसी के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कराया है। अनावेदक के अभिभाषक ने इस सम्बन्ध में तर्क दिया कि जब तहसील न्यायालय में पूर्व से ही कार्यवाही चल रही है तथा अपीलीय न्यायालयों में कार्यवाही चल रही है तब मृतक ग्यारसी के परिजनों को इन कार्यवाहियों का ज्ञान था किन्तु वह जानबूझकर उपस्थित नहीं हुये, इसलिये पुनरावलोकन आवेदन में इसका लाभ नहीं मिलना चाहिये।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया। आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा ग्यारसी की मृत्यु दिनांक 24-12-1999 को होने के पुष्टिकरण में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिससे प्रमाणित है कि मूल भूमिस्वामी ग्यारसी दिनांक 24-12-1999 मरा है जबकि तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 11-चार/आर/324/ 1994 निगरानी में दिनांक 31 मार्च, 2000 को अंतिम आदेश पारित किया है जो मृतक भूमिस्वामी के विरुद्ध एकपक्षीय है स्पष्ट है कि अनावेदक रघुवीर सिंह पुत्र भैयालाल ने जानबूझकर मूल भूमिस्वामी ग्यारसी की मृत्यु के तथ्य को तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल से छिपाते हुये मृतक के विरुद्ध आदेश दिनांक 31-3-2000 पारित कराया है। बलीराम लदूरी सिंह एवं अन्य विरुद्ध प्रेम तोताराम एवं अन्य 1994 M.P.L.J. 993 में माननीय उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा इस प्रकार व्यवस्था दी है :-

Civil Procedure Code, 1908 , O. 22 RR. 4, 11 ajd O. 47, R. 1 – Decree passed in favour of deceased sole respondent without bringing legal representatives on record – Such decree is a nullity.






उपरोक्त से स्पष्ट है कि तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 11-चार/आर/324/ 1994 निगरानी में दिनांक 31 मार्च, 2000 आवेदकगण पर बाध्यकर नहीं है एवं मृतक भूमिस्वामी के विरुद्ध पारित होने से विधि के प्रभाव अकृत एवं शून्यवत् है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 11-चार/आर/324/ 1994 निगरानी में दिनांक 31 मार्च, 2000 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणाम-स्वरूप अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा अपील क्रमांक 694/ अ-6/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 31-12-1993 एवं अनुविभागीय अधिकारी बीना द्वारा प्रकरण क्रमांक 58 अ-6/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 27-2-1993 तथा तहसीलदार बीना द्वारा प्रकरण क्रमांक 01 अ-46/1981-82 में आदेश दिनांक 30-5-1992 स्थिर रहते हैं।



  
(एम०के०सिंह)  
सदस्य

राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर


## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1244-दो/2010 रिज्यू

जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ता.
B-2-17	<p>आवेदक के अभिभाषक ने राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1244-दो/2010 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 18-10-2016 में हुई टंकण त्रुटि के सुधार हेतु यह आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 सहपठित सी०पी०सी० 152 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है।</p> <p>2/ आवेदक के अभिभाषक के आवेदन के क्रम में प्रकरण क्रमांक 1244-दो/2010 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 18-10-2016 का अवलोकन किया गया। तदनुसार टंकण त्रुटि से आदेश के पृष्ठ-2 पर पद 2 की लायर नंबर 8 में ग्यारसीलाल पुत्र प्राणसिंह टंकित हुआ है जबकि ग्यारसीलाल के पिता का नाम प्यारेलाल है। इसी प्रकार इसी पद की 17वीं लायन में भी ग्यारसीलाल पुत्र प्राणसिंह टंकित हुआ है जबकि ग्यारसीलाल के पिता का नाम प्यारेलाल है। अतः राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1244-दो/2010 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 18-10-2016 में औषिक संशोधन स्वीकार किया जाकर उक्त दोनों स्थान पर ग्यारसीलाल पुत्र प्राणसिंह के बजाय ग्यारसीलाल पुत्र प्यारेलाल नाम पढ़ा जावे। तदनुसार संशोधन आवेदन स्वीकार किया जाता है।</p>	

K. J. C.

  
सदस्य